डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजी क्रमांक रायपुर डिवीजन

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 244] रायपुर, सोमवार, दिनांक 22 अक्टूबर 2001—आश्विन 30, शक 1923

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 अक्टूबर 2001

अधिसूचना

क्रमांक 240/264/2001/1/6.—इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 512/साप्रवि/2000, दिनांक 18-12-2000 द्वारा ग्राम अचानकमार, थाना कोटा, जिला बिलासपुर में दिनांक 26-27 नवम्बर, 2000 की दरम्यानी रात में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के साथ सहायक पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर एवं अन्य पुलिस अधिकारियों द्वारा मारपीट किये जाने की घटना की न्यायिक जांच हेतु सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश माननीय आर. के. शर्मा की सदस्यता में जांच आयोग का गठन तीन माह के लिये किया गया था, राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त जांच आयोग के कार्यकाल में दिनांक 18-3-2001 से 3 माह एवं 18-6-2001 से छः माह की अवधि वृद्धि किये जाने की स्वीकृति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. सी. सूर्य, उप-सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.